



Neutral Citation No.- 2026:AHC:58391

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्या - 5325 वर्ष 2026

रामफेर

आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राम आधार राम, विनय कुमार भारती

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 77

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार भारती और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री शशिधर पांडे को सुना।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने बीएनएसएस की धारा 528 के तहत यह आवेदन दायर किया है। यह आवेदन उसके प्रार्थना खंड में उल्लिखित राहत की मांग के लिए दायर किया गया है। आवेदन में उल्लिखित राहत का वर्णन नीचे दिया गया है:-

“इसलिए, यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया इस आवेदन को स्वीकार करते हुए आपराधिक विविध मामला संख्या 23 वर्ष 2026 (राज्य बनाम समीम अहमद और अन्य), जो कि मुकदमा अपराध संख्या 0024 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 316 (2), 319 (2), 318 (4) बी.एन.एस.एस., 2023, पुलिस स्टेशन-बिलारियागंज, जिला-आजमगढ़, से संबंधित है, की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द कर दे। साथ ही दिनांक 17.08.2025 को जारी आरोपपत्र और साथ ही दिनांक 02.01.2026 को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 11, आजमगढ़ द्वारा पारित संज्ञान आदेश को भी रद्द कर दे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसके अलावा यह प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय आपराधिक विविध मामला संख्या 23 वर्ष 2026 (राज्य बनाम समीम अहमद और अन्य), जो कि मुकदमा अपराध संख्या 0024 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 316 (2), 319 (2), 318 (4) बी.एन.एस.एस., 2023, पुलिस स्टेशन-बिलारियागंज, जिला-आजमगढ़, से संबंधित है, की आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दे।"

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि उसने प्रत्यर्थी संख्या 2 को सह-आरोपियों को पैसे देने के लिए राजी किया और प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सह-आरोपियों को पैसे दिए, जिसके बाद उसे जाली टिकट और पासपोर्ट जारी किए गए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सह-आरोपी शमीम अहमद को दिए गए पैसे में से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि इस मामले में जांच अधिकारी ने सह-आरोपियों के विरुद्ध सबूत तो जुटाए ही हैं, साथ ही वर्तमान आवेदक के विरुद्ध भी आरोपपत्र दाखिल किया है और संबंधित विचारण न्यायालय ने दिनांक 02.01.2026 के आदेश द्वारा धारा 316(2), 319(2) और 318(4) बीएनएस के तहत इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि दिनांक 02.01.2026 का संज्ञान-सह-समन आदेश कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है क्योंकि इसे न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना पारित किया गया है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आवेदन का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के तहत साक्ष्य के रूप में तब तक नहीं माना जा सकता, जब तक कि गवाहों की शपथ पर मुख्य-परीक्षा और प्रति-परीक्षा न हो जाए और जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, उन्हें भी मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों द्वारा साबित न कर दिया जाए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आक्षेपित संज्ञान-सह-समन आदेश में कोई अनियमितता नहीं है, जिससे धारा 507 बीएनएसएस (संबंधित धारा 461 सीआरपीसी) के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक कार्यवाही अमान्य हो सके। धारा 507 बीएनएसएस के प्रावधान संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

“धारा 507 - वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को अमान्य कर देती हैं - यदि कोई

मजिस्ट्रेट, इस संबंध में कानून द्वारा सशक्त न होते हुए भी, निम्नलिखित में से

कोई कार्य करता है तो उसकी कार्यवाही शून्य होगी, अर्थात्:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- (ए) संपत्ति को धारा 85 के तहत कुर्क करना और बेचना;
- (बी) डाक प्राधिकारी की हिरासत में किसी दस्तावेज़, पार्सल या अन्य वस्तुओं के लिए तलाशी वारंट जारी करता है;
- (सी) परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग करता है;
- (डी) सदाचार के लिए प्रतिभूति की मांग करता है;
- (ई) सदाचारी बने रहने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करता है;
- (एफ) परिशांति कायम रखने के बंधपत्र को रद्द करता है;
- (जी) भरण-पोषण का आदेश देता है;
- (एच) स्थानीय न्यूसेंस के संबंध में धारा 152 के तहत आदेश जारी करता है;
- (आई) धारा 162 के तहत लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या निरंतरता पर रोक लगाता है;
- (जे) अध्याय 11 के भाग-सी या भाग-डी के अंतर्गत आदेश जारी करता है;
- (के) धारा 210 की उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेता है;
- (एल) किसी अपराधी का विचारण करता है;
- (एम) किसी अपराधी का संक्षिप्त विचारण करता है;
- (एन) किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई कार्यवाही के आधार पर धारा 364 के तहत सजा सुनाता है;
- (ओ) अपील पर निर्णय लेता है;
- (पी) कार्यवाही को धारा 438 के तहत के तहत माँगता है; या
- (क्यू) धारा 491 के तहत पारित आदेश का पुनरीक्षण करता है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एफआईआर घटना का विस्तृत विवरण नहीं है और इससे घटना के हर पहलू का पूर्ण, कालानुक्रमिक विवरण अपेक्षित नहीं है, बल्कि एफआईआर का मुख्य उद्देश्य पुलिस को संज्ञेय अपराध (एक गंभीर अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है) के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घटित होने की सूचना देना है ताकि वे जांच शुरू कर सकें। अपने तर्क का समर्थन करने के लिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वी.के. मिश्रा और अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य (2015) 9 सुप्रीम कोर्ट केस 588, लतेश उर्फ दादू बाबूराव कार्लेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) 3 सुप्रीम कोर्ट केस 66, और अमीश देवगन बनाम भारत संघ और अन्य (2021) 1 एससीसी 1 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है।

6. विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बी.एन. जॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [2025] 1 एस.सी.आर. 12 : 2025 आईएनएससी 4 मामले के पैराग्राफ 25 में अपने पूर्व निर्णयों में प्रतिपादित उपरोक्त विधि के सिद्धांत को दोहराया है। बी.एन. जॉन के मामले (उपरोक्त) का प्रासंगिक पैराग्राफ 25 संदर्भ हेतु नीचे दिया गया है:-

“25. एफआईआर में अपीलकर्ता द्वारा आपराधिक बल प्रयोग या हमले का कोई आरोप नहीं है जिससे आईपीसी की धारा 353 का प्रावधान लागू हो सके। यह याद रखना चाहिए कि आपराधिक प्रक्रिया एफआईआर दर्ज होने के साथ ही शुरू होती है। हालांकि एफआईआर को घटना के सभी विस्तृत तथ्यों को समाहित करने वाला विश्वकोश नहीं माना जाता है और यह केवल एक दस्तावेज है जो आपराधिक कानूनी प्रक्रिया को शुरू करता है और उसे गति प्रदान करता है, फिर भी इसमें कथित रूप से किए गए अपराध की प्रकृति का खुलासा होना चाहिए, अन्यथा इसे रद्द किया जा सकता है जैसा कि **भजन लाल के मामले (उपरोक्त)** में धारित किया गया है (निर्णय के पैरा 102 के खंड 1 में देखें)।

सीबीआई बनाम तपन कुमार सिंह (2003) 6 एससीसी 175 के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:

“20. यह सर्वविदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोश नहीं है, जिसमें रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्य और विवरण प्रकट करना अनिवार्य हो। एक सूचनादाता किसी अपराध के घटित होने की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, भले ही वह पीड़ित या उसके हमलावर का नाम न जानता हो। उसे यह भी पता नहीं हो सकता कि घटना कैसे घटी। प्रथम सूचनादाता का प्रत्यक्षदर्शी होना आवश्यक नहीं है ताकि वह किए गए अपराध के सभी पहलुओं का विस्तृत विवरण दे सके।

महत्वपूर्ण बात यह है कि दी गई सूचना से संज्ञेय अपराध के घटित होने का खुलासा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होना चाहिए और दर्ज की गई सूचना पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध के घटित होने का संदेह करने का आधार प्रदान करे। इस स्तर पर यह पर्याप्त है कि पुलिस अधिकारी दी गई सूचना के आधार पर संज्ञेय अपराध के घटित होने का संदेह करे, न कि उसे इस बात से आश्वस्त या संतुष्ट होना चाहिए कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। यदि उसे प्राप्त सूचना के आधार पर यह संदेह करने का कारण है कि संज्ञेय अपराध घटित हुआ हो सकता है, तो वह सूचना दर्ज करने और जांच करने के लिए बाध्य है। इस स्तर पर उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह सूचना की सत्यता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करे....."

(जोर दिया गया)"

7. अंत में विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि बी.एन.एस. की धारा 351(3) के अंतर्गत उल्लिखित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं और यह विचारणीय मामला है तथा बी.एन.एस.एस. की धारा 262(2) (जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 के अनुरूप है) के अनुसार आरोप तय करते समय आरोपी-आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। संदर्भ के लिए बी.एन.एस.एस. की धारा 262(2) नीचे उद्धृत की जा रही है:

धारा 262. जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा.-(1) अभियुक्त धारा 230 के तहत दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) यदि पुलिस रिपोर्ट और धारा 193 के तहत इसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और यदि आवश्यक हो तो, आरोपी की शारीरिक रूप से या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऐसी जांच करने के बाद, जैसा कि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे, और अभियोजन पक्ष और आरोपी को सुनवाई का अवसर देने के बाद, मजिस्ट्रेट आरोपी के विरुद्ध आरोप को निराधार समझता है, तो वह उसे उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के कारणों को दर्ज करेगा।

8. मैंने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत सभी दलीलों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।



9. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, न्यायालय को आक्षेपित संज्ञान-सह-समन आदेश में कोई अवैधता या खामी नहीं मिलती है जिससे इस स्तर पर आवेदक को कोई राहत दी जा सके। इसके अलावा, न्यायालय धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए विवादित तथ्यों के प्रश्नों पर निर्णय नहीं दे सकता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में बार-बार कहा गया है।

10. हालांकि, जांच पूरी होने के बाद आवेदक इस न्यायालय में नया आवेदन दाखिल कर सकता है। इसके अलावा, यह कहना अनावश्यक है कि आरोपी-आवेदकों को बीएनएसएस की धारा 262(2) (सीआरपीसी की संबंधित धारा 239) के तहत आरोप तय करने के चरण में सुनवाई का अवसर मिलेगा। आवेदक आरोप तय करने के चरण में विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी सभी शिकायतें उठा सकता है। विचारण न्यायालय जांच अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए सभी सबूतों का मूल्यांकन करेगी और आरोप तय करते समय आवेदक के मामले पर कानून के अनुसार ही विचार करेगी।

11. उपरोक्त अवलोकन के आधार पर, इस आवेदन का **निपटारा** किया जाता है।

12. श्री शशिधर पांडे, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक प्रति संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजें ताकि इसे संबंधित विचारण न्यायालय के साथ-साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों/प्राधिकारियों को भी सूचित किया जा सके।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

20 मार्च, 2026

मनीष हिमवान